Implementation of OPS

Un-Starred Question No. 29, dated 25.08.2023

Sh. Balraj Kundu, MLA (Mehem):

Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that the employees associations are continuously agitating for the implementation of Old Pension Scheme again in the whole State; and

b) if so, the reason for not implementing the Old Pension Scheme in State whereas the same has already been implemented in the other States like Rajasthan, Chattisgarh and Punjab together with the details thereof?

Answer

Chief Minister:-

a) Yes, sir.

b) A Committee was constituted by the Central Government in 2001 to study the huge financial liability of pension in respect of Government employees. Based on the recommendations of the Committee, the Central Government introduced Defined Contribution Pension System now called as National Pension System (NPS) with effect from January 01, 2004, to set aside a defined corpus for payment of pension liabilities, which would otherwise have become a burden on the tax payer in the future under the Old Pension System.

Subsequently, State of Haryana adopted NPS with effect from January 01, 2006 in respect of its employees. The fundamental principles regarding NPS still continue to be the same. At present, State Government is contributing its monthly share @ 14% for employees towards the pension liabilities as against the employee contribution @ 10%.

The State Government generally follows the Central Government with regard to pay & pension matters. Government of India has already constituted a Committee to look into the issue of pensions under the National Pension System. The State Government will take a call after the Central Government takes a decision based on the recommendations of the Committee.

पुरानी पेंशन योजना को लागू करना

अतारांकित प्रश्न सं. 29 - दिनांक 25.06.2023

श्री बलराज कुंडू विधायक, महम

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

क) क्या यह तथ्य है कि पूरे राज्य में पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने के लिए कर्मचारी संगठन लगातार आंदोलन कर रहे है; तथा

(ख) यदि हां, तो राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू न करने के कारण क्या है जबकि अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ तथा पंजाब में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

मुख्यमंत्री:

क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन की भारी वित्तीय देनदारी का अध्ययन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001 में एक समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने पेंशन देनदारियों के भुगतान के लिए एक परिभाषित कोष को अलग रखने के लिए 01.01.2004 से परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली शुरु की गई. जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) कहा जाता है. जो अन्यथा पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत भविष्य में करदाताओं पर बोझ बन जाता।

इसके बाद हरियाणा राज्य ने 01.01.2006 से अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) को अपनाते हुए लागू किया था। एन०पी०एस० के सम्बन्ध मे मुलभूत सिद्धांत वही बने हुए है। वर्तमान में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 14 प्रतिशत की दर से मासिक अंशदान पेंशन देनदारियों में कर रही है. जबकि कर्मचारी अंशदान 10 प्रतिशत है।

राज्य सरकार आम तौर पर वेतन और पेंशन मामले में केन्द्र सरकार का अनुसरण करती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन के मुद्दे पर विचार करने के लिए पहले ही एक समिति का गठन कर दिया है। समिति की अनुशंसा के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी।